ORIGINAL RESEARCH PAPER

Education

भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास (प्राचीनकाल से स्वतन्त्रता तक)

KEY WORDS:

विकास कुमार शोधकर्त्ता, शिक्षा संकाय, टांटिया विष्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

प्रस्तावना :
भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति मानी जाती है। यहाँ पर षिक्षा के बड़े–बड़े केन्द्र स्थापित हुए। षिक्षा तथा मानव जाति का जन्म जन्मान्तर का सम्बंध है। षिक्षा की अवधि जन्म से मृत्यु तक फैली है। षिक्षा का वास्तविक अर्थ मनुष्य को मानव बनाना तथा जीवन को प्रगतिशील सांस्कृतिक एवं सभ्य बनाना है। यह व्यक्ति तथा समाज की वृद्धि के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। षिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपनी विचार शक्ति तथा तर्क शक्ति, समस्या समाधान तथा बौद्धिकता, प्रतिभा तथा रूझान, धनात्मक भावुकता तथा कुशलता और अच्छे मूल्यों व रूचियों को विकसित करता है। इसी के द्वारा ही वह मानवीय सामायिकता, नैतिकता और प्रतिदिन तथा हर क्षण कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। उसका समस्त जीवन ही षिक्षा है। अतः षिक्षा निरन्तर तथा गतिशील प्रक्रिया है।

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ–
षिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के 'शिक्ष्' धातु से निकला है। जिसका अर्थ है 'नियंत्रित करना', 'पढ़ाना अथवा निर्देश' देना है। कई बार षिक्षा के लिए 'विद्या' शब्द भी प्रयुक्त होता है। विद्या शब्द संस्कृत के 'विद्' धातु से बना है। जिसको लेटिन भाषा में तीन अलग–अलग शब्दों से लिया गया है। एडूकेयर का अर्थ है 'पालन पोषण' एडूसीयर का अर्थ है 'विकसित करना' अथवा 'निकालना' एडूकेटम का अर्थ है 'षिक्षित करना' पढ़ाने अथवा सीखने की प्रक्रिया है।

शिक्षा की परिभाषाएँ–
ऋग्वेद के अनुसार – ''षिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है।''

विष्णु पुराण के अनुसार – ''साः विद्या याः विमुक्तयेः।''

उपनिषद् के अनुसार – ''षिक्षा का अंतिम लक्ष्य निवार्ण है।''

कौटिल्य के अनुसार – ''षिक्षा का अर्थ है देष के लिए त्याग और राष्ट्र के प्रति प्रेम।''

वेदान्तिक दृष्टिकोण के अनुसार – ''हमें ऐसी षिक्षा की आवष्यकता है जो प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान आध्यत्मिकता की आवष्यकता को तीव्र सजीव और प्रकाशगमन करे।''

शंकराचार्य के अनुसार – ''षिक्षा स्वयं को जानना है।''

गुरू नानकदेव के अनुसार – ''विद्या विचारी ते परोपकारी''

अरबिन्दु के अनुसार – ''षिक्षा का कार्य आत्मा को विकसित करने में सहायता देना है।''

गाँधी जी के अनुसार – ''षिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं व्यक्ति के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके।''

विश्वविद्यालय षिक्षा आयोग रिपोर्ट के शब्दों में – ''भारतीय परम्पराओं के अनुसार षिक्षा रोजी–रोटी कमाने का साधन मात्र नहीं है न ही विचारों का पालन–पोषण है और न ही नागरिकता की पाठशाला। यह आत्मा के जीवन का आरम्भ है। सत्य की खोज के लिए प्रशिक्षण है और नेकी का अभ्यास है यह दूसरा जन्म, दिव्यात्मा जन्म है।''

प्राथमिक शिक्षा –
यह आधुनिक मनोविज्ञान का मान्य सिद्धान्त है कि बचपन में सीखी गयी बातें, बचपन में बनायी गयी आदतें सम्पूर्ण जीवन न भूली जाती, न बदली जाती। यही वह समय होता है जब समाज के लिये नागरिक बनने की नींव पड़ती है। यह शाष्वत सत्य है कि जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है अर्थात समाज के लिये घातक प्रवृत्ति का व्यक्ति जन्म से नहीं होता अपितु उसे परिस्थितियाँ बना देती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ अषिक्षा या उचित षिक्षा के अभाव के कारण पैदा होती हैं इसका अर्थ यह हुआ कि जब समाज आज मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्तियों के दुष्परिणामों को झेल रहा है तो उसे उचित षिक्षा के प्रसार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसलिये प्राचीन काल में तथा वर्तमान काल में विद्वान 6–14 वर्ष की आयु के बालकों को समाजोपयोगी षिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान देने के पक्ष में रहे हैं। इस समय उचित दिषा में चलकर षिक्षार्थी भविष्य के लिये अच्छे नागरिक के रूप में तैयार हो सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है– 'मेरी दृष्टि में छोटे बच्चों की षिक्षा – जिसको हम पूर्व बुनियादी षिक्षा कहते हैं; कुटुम्बों में ही होनी चाहिए। माता–पिता ही बच्चे के प्रथम गुरू हैं और दूसरे गुरूओं से उनका अधिकार भी श्रेष्ठ है बषर्ते कि वे षिक्षण की योग्यता रखते हों। प्राथमिक षिक्षा के लिये आवष्यक है कि बालक के माता–पिता भी पूर्ण षिक्षित हों। लेकिन अभी तो यह स्थिति नहीं है। प्राथमिक षिक्षा का मुख्य उद्देष्य तो बालक का स्वस्थ व सर्वांगीण विकास करना है। साथ साथ उसकी भावनाओं का विकास इस प्रकार करना है कि वह राष्ट्रीय हित में एक स्वस्थ, जागरुक नागरिक के रूप में तैयार हो सके।

प्राचीनकाल में भारत में प्राथमिक शिक्षा :
वैदिक काल में जब गुरूकुल प्रणाली को अपनाया जाता था तथा जहाँ व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था, उस समय व्यवस्था थी कि षिक्षा ग्रहण करने वाले बालक अपने माता–पिता, अपने शहर से दूर रहकर शैक्षणिक प्रयोगषाला के वातावरण रूपी गुरूकुल में गुरू के साथ रह कर संपूर्ण समय अध्ययन कर विद्योपार्जन किया करते थे।

प्राथमिक षिक्षा के रूप में बालक का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास कर उसे सत्य से साक्षात्कार करवाया जाता था। श्रवण और मनन के रूप में षिक्षा प्रदान की जाती थी। जीवनोपयोगी षिक्षा के साथ साथ भिक्षावृति का भी आदेष दिया जाता था जिससे षिक्षार्थियों में विनम्रता एवं सामाजिकता की भावना का उदय होता था। गुरू के संतुष्ट होने पर षिक्षार्थी को समाज में लौटने की अनुमति प्रदान की जाती थी।

ब्राह्मणकालीन षिक्षा में गुरू का अत्यधिक महत्त्व था जिसमें गुरू षिष्यों को सक्रिय रखकर वार्तालाप के द्वारा मौखिक रूप से षिक्षा प्रदान करते थे। इस समय षिक्षण पद्धति निःषुल्क एवं वैयक्तिक थी। षिष्य गुरू के परिवार के सदस्य के रूप में रहकर समाज के लिये उपयोगी षिक्षा ग्रहण करते थे।

बौद्धकालीन षिक्षा का उदय वेदों पर ब्राह्मणों के आधिपत्य के कारण कर्मकाण्डों में समाज उलझता प्रतीत होने पर हुआ। इस षिक्षा में अहिंसा, सत्य एवं सदाचार पर बल दिया जाता था। प्राथमिक षिक्षा में बालक–बालिकाओं को पढ़ना लिखना, प्रारम्भिक गणित तथा धार्मिक आचार की षिक्षा दी जाती थी। प्रारम्भिक व्याकरण का भी प्रमुख स्थान रखा था।

बाद में धीरे धीरे विदेषी आक्रान्तकारियों का भारत पर आक्रमण हुआ तो मध्यकालीन षिक्षा के रूप में इस्लामी षिक्षा का उदय हुआ। इस षिक्षा में मुख्य उद्देष्य धर्म का प्रचार था। प्रारम्भिक षिक्षा 'मकतबों' में दी जाती थी। इसके प्रधान 'आलिम' होते थे। इसमें बिस्मिल्लाह संस्कार के बाद षिक्षा प्रदान की जाती थी जिसमें 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन के बालकों को कुरान की भूमिका सुनाकर बालक से 'बिस्मिल्लाह' शब्द कहलवाया जाता था। मकतबों में आसपास के षिक्षार्थी आते थे जिन्हें मुख्य रूप से धार्मिक षिक्षा ही प्रदान की जाती थी। प्राथमिक षिक्षा में सर्वप्रथम बालकों को लिपि का ज्ञान करवाया जाता था। उच्चारण की शुद्धता एवं व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने पर अधिक जोर दिया जाता था। नैतिकता के विकास पर भी ध्यान दिया जाता था। अंकगणित, पत्र कला का भी पाठ्यक्रम में स्थान था। राजकुमारों एवं सूबेदारों के बच्चों को राजमहल में सैनिक षिक्षा के साथ साथ न्याय करने के लिये कानून की षिक्षा भी दी जाती थी।

ब्रिटिशकालीन भारत में प्राथमिक शिक्षा :
1813 ई. के आज्ञा पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय षिक्षा का आंषिक दायित्व प्राप्त किया था जिसे बाद में 2 फरवरी 1835 में मैकाले ने अपने ऐतिहासिक विवरण पत्र को प्रस्तुत किया जिसमें मैकाले ने भारतीय धर्म, भारतीय साहित्य, षिक्षा संस्थानों का स्पष्ट विरोध कर अंग्रेजी व ईसाई धर्म को महत्त्व देने वाली षिक्षा को थोपा। जिसे 7 मार्च 1835 को लार्ड विलियम बैंटिक ने मूल रूप में ही स्वीकार कर लिया।

1854 को वुड का षिक्षा घोषणा पत्र आया जिसे भारतीय षिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। इसमें सर्वसाधारण के लिये षिक्षा का द्वारा खुल गया। क्योंकि इसमें षिक्षण माध्यम को अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी बनाये जाने की सिफारिष की गयी थी।

भारत में ब्रिटिषकाल में षिक्षा के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण आयोग 'हंटर आयोग' को नियुक्त किया गया। जिसने मार्च 1883 में विस्तृत विवरण में सिफारषें की। इसमें प्राथमिक षिक्षा के लिए निम्न सिफारिषें की गयी –

- अप्राइमरी स्कूलों के परीक्षाफल के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।
- अविद्यालय भवन तथा फर्नीचर सरल एवं सुलभ हों।
- अप्राइमरी षिक्षा के पाठ्यक्रम में महाजनी गणित, बहीखाता, खेतों की नाप जोख, सरल विज्ञान, कृषि और व्यावसायिक कौषल को स्थान दिया जाये।
- अप्राइमरी स्कूलों के षिक्षकों के लिये ट्रेनिंग हेतु 'नार्मल ट्रेनिंग स्कूल' खोले जायें।
- अजो आर्थिक सहायता राज्य की ओर से प्राइमरी षिक्षा के लिये विभिन्न प्रान्तों को दी जाये उसे सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों की देखरेख और नॉर्मल स्कूलों के उचित संरक्षण पर व्यय किया जायेगा।

बड़ौदा महाराज सायजी राव गायकवाड़ ने 1893 से 1906 तक अपने सारे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक षिक्षा को लागू किया। इन्हीं प्रयासों से प्रभावित होकर 16 मार्च 1911 को गोखले ने देष भर में अनिवार्य एवं निःषुल्क षिक्षा का विधेयक 'केन्द्रीय धारा सभा' के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि पारित न हो सका। बाद में 1918 में पटेल अधिनियम (विठ्ठल भाई पटेल) या 'बम्बई प्राथमिक षिक्षा कानून' के माध्यम से बम्बई में सबसे पहले प्राथमिक षिक्षा निःषुल्क एवं अनिवार्य घोषित हुई।

हरटॉग कमीषन ,ंतजवह ब्वउउपेपवदद्ध – इस कमीषन के अध्यक्ष सर फलिप हरटॉग थे। इस कमीषन की नियुक्ति 1928 में हुई थी। इसकी रिपोर्ट 1929 के सितम्बर मास में प्रकाषित हुई। जिसमें सर हरटॉग ने प्राथमिक षिक्षा के प्रति अपने विचार व्यक्त किये थे।

महात्मा गांधी के 'हरिजन' पत्रिका में प्रकाषित विचारों के आधार पर वर्धा षिक्षा योजना में 7–14 वर्ष की आयु के बालक–बालिकाओं को निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा दिये जाने की सिफारिष की गयी। जिसे मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाये।

1944 में सार्जेंट कमीषन ने भी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का सुझाव प्रेषित किया था। जिसका माध्यम मातृभाषा रखने की बात कही गयी।

स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा :
स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक षिक्षा की प्रगति हेतु अनेक उपाय किये गये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के द्वारा राज्य के नीति निर्देषक तत्वों के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के बालकों को निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा की व्यवस्था को सुनिष्चित करने के लिये सरकार को निर्देषित किया गया है। षिक्षा में गुणात्मक वृद्धि सुनिष्चित करने के लिये समय समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं। इनमें षिक्षा को 42 वें संविधान संषोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची का

विषय बनाया गया है अर्थात षिक्षा प्रदान करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों का होगा तथा कई आयोगों का गठन, कई संगठनों एवं संस्थाओं की स्थापना एवं विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन भी किया गया है।

अंत में कह सकते है कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक प्राथमिक षिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। प्राथमिक षिक्षा से ही हमारे देष के भविश्य युवा वर्ग की नींव मजबूत होती है। कहा भी गया है कि जब नींव मजबूत होगी तभी ऊंचा भवन तैयार हो सकता है। प्राथमिक षिक्षा की प्रगति भी इसी बात का एक उदाहरण है।